सं0-143/2015/8811/62-2-2015-2/3(08)/2015

प्रेंषक,

राम किंकर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

अधिशासी अभियंता,
लघु सिंचाई संबंधित प्रखण्ड।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ- दिनांक: 27 नवम्बर,2015

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में अनुदान सं-13 के अधीन ग्राउण्ड वाटर जिचार्जिग/चेकडैमों के निर्माण हेतु सामान्य योजना मे बजट प्राविधान के सापेक्ष प्रथम छ:माही हेतु धनराशि का आवंटन (जिला योजना)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग के पत्र सं0-जी-252/ल0सिं0/बजट-3/2015-16, दिनांक 06-11-2015 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30-3-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत ग्राउण्ड वाटर जिचार्जिग/चेकडैमों के निर्माण हेतु सामान्य योजना में प्राविधानित धनराशि रू0-3000.00 लाख (रूपये तीस करोड मात्र) के सापेक्ष प्रथम छ:माही हेतु धनराशि रू0-1500.00 लाख को शासनादेश सं0-1472/62-2-2015-2/3(08)/2015, दिनांक 28-4-2015 द्वारा निर्गत की जा चुकी है। इस प्रकार अवशेष धनराशि रू0-1500.00 लाख (रूपया पन्द्रह करोड मात्र) को संलग्न विवरणानुसार राज्यपाल महोदय आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति उपर्युक्त शासनादेश सं0-1472/62-2-2015-2/3(08)/2015, दिनांक 28-4-2015 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि वर्ष 2015-16 की जिला योजनाओं के लिए जनपदवार परिव्यय निर्धारित होने के उपरांत जारी की गयी स्वीकृतियों को आवंटित परिव्यय मे समायोजित कर लिया जायेगा। तदनुसार संबंधित जनपदों की जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन भी प्राप्त कर लिया जायेगा।

3- तत्सम्बन्धी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत अनुदान सं0-83 के अधीन ''लेखाशीर्षक-4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-लधु सिंचाई के अन्तर्गत ग्राउण्ड वाटर चार्जिग चेकडैमों का निर्माण (जिला योजना)-24 वृहद निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30-03-2015 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(राम किंकर मिश्र)

संयुक्त सचिव।

सं0-143/2015/8811(1)/62-2-2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, इलाहाबाद।
3- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- समस्त अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त ।
5- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
6- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला अधिकारी (विकास)/जिला विकास अधिकारी।
7- सम्बन्धित सहायक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग।
8- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
9- नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन।
11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन।
12- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
13- एन0आई0सी0 की प्रति।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सं0-143/2015/8811/62-2-2015-2/3(08)/2015, दिनांक 27 नवम्बर,2015 का संलग्नक।

चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन "लेखाशीर्षक-4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-लधु सिंचाई के अन्तर्गत ग्राउण्ड वाटर चार्जिग चेकडैमों का निर्माण (जिला योजना)-24 वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि का विवरण:-

(रूपये लाख में)

क्र0 सं0	जनपद	गत वर्ष मे नियोजन विभाग द्वारा सूचित परिव्यय	पूर्व में बजट प्राविधान	संशोधित बजट प्राविधान	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	संशोधित बजट प्राविधान के अनुसार अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1-	मेरठ	60.00	36.00	36.00	18.00	18.00
2-	बागपत	88.00	36.00	36.00	18.00	18.00
3-	बुलन्दशहर	100.00	54.00	59.00	18.00	41.00
4-	सहारनपुर	15.00	15.00	15.00	7.00	8.00
5-	मुजफफरनगर	24.00	18.00	18.00	9.00	9.00
6-	शामली	130.00	72.00	72.00	36.00	36.00
7-	आगरा	450.00	252.00	252.00	126.00	126.00
8-	मथुरा	300.00	162.00	162.00	90.00	72.00
9-	फिरोजाबाद	250.00	126.00	126.00	54;00	72.00
10-	मैनपुरी	150.00	72.00	72.00	36.00	36.00
11-	अलीगढ	240.00	129.00	145.00	72.00	73.50
12-	हाथरस	150.00	72.00	82.00	36.00	46.50
13-	एटा	20.00	18.00	18.00	9.00	9.00
14-	मुरादाबाद	16.00	16.00	16.00	8.00	8.00
15-	रामपुर	90.00	54.00	54.00	18.00	36.00
16-	बिजनौर	180.00	90.00	90.00	54.00	36.00
17-	लखनऊ	115.00	54.00	54.00	18.00	36.00
18-	रायबरेली	57.00	36.00	36.00	18.00	18.00
19-	कानपुर नगर	14.00	14.00	0.00	7.00	-7.00
20-	इलाहाबाद	126.00	72.00	72.00	36.00	36.00
21-	कौशाम्बी	61.20	36.00	36.00	18.00	18.00
22-	फतेहपुर	154.00	72.00	72.00	36.00	36.00
23-	प्रतापगढ	405.00	216.00	216.00	110.00	106.00
24-	चन्दौली	38.47	18.00	18.00	9.00	9.00
25-	गाजीपुर	350.00	180.00	180.00	90.00	90.00
26-	जौनपुर	70.00	36.00	36.00	18.00	18.00
27-	मिर्जापुर	175.99	90.00	90.00	36.00	54.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

28-	सोनभद्र	122.20	72.00	72.00	36.00	36.00
29-	सुल्तानपुर	25.00	18.00	0.00	9.00	-9.00
30-	झाँसी	300.00	162.00	162.00	90.00	72.00
31-	जालौन	304.41	162.00	162.00	90.00	72.00
32-	ललितपुर	150.00	72.00	72.00	36.00	36.00
33-	हमीरपुर	178.00	90.00	90.00	36.00	54.00
34-	महोबा	210.00	10द्ध.00	108.00	54.00	54.00
35-	बाँदा	200.00	108.00	108.00	54.00	54.00
36-	चित्रकूट	300.00	162.00	162.00	90.00	72.00
	योग-	5619.27	3000.00	3000.00	1500.00	1500.00

(रूपय पन्द्रह करोड मात्र)

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।